का ही हिस्सा कम होना चाहिए था, देवेन्द्र कुमार व गायत्री देवी का हिस्सा वर्तमान में 239/2000 के बजाय 40/2000 व अपीलान्ट का हिस्सा 290/2000 के बजाय 489/2000 होना चाहिए । तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ख.नं. 803 का रकबा 0.2000 हैक्टर में से 0.1184 हैक्टर दर्ज करने से अपीलान्ट का हिस्सा कम हो गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट उक्त नामान्तरकरण से प्रभावित है। अपीलान्ट के कथनानुसार वर्तमान में देवेन्द्र कुमार व गायत्री देवी का हिस्सा 239/2000 के बजाय 40/2000 व अपीलान्ट का हिस्सा 290/2000 के बजाय 489/2000 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का वर्तमान में दर्ज हिस्सा 290/2000 के बजाय 489/2000 व देवेन्द्र कुमार पुत्र मातादीन जाति अहिर व गायत्री देवी पत्नी गोपाल जाति महाजन का हिस्सा 239/2000 के बजाय 40/2000 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें। पालनार्थ हेतु तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर हों।

8. निर्णय आज दिनांक 18.3.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)